

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 62/2026

अनवान : -

1 श्योपाल पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी बशीर त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
वादी

बनाम्

1 जसवन्त पुत्र सूरजकरन जाति जाट निवासी बशीर त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी अरविन्द नैण व रोहिताश चाहर अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 4 एमकेएस के खाता सं० 15/9 की कुल 9.8670 है० आराजी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में से 2.530 है० आराजी का वादी श्योपाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व इसी अनुसार उपरोक्त वाद भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किया जावे। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 23/2/26.....मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

(सत्यनारायण)

R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़